२५/५/२५ पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक ७/७/२५ को पेश हो

(हस्ताक्षर)
(अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी)

७/७/२५ पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक २१/७/२५ को पेश हो

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

२१/७/२५ पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थीगण को सम्मन पंजीकृत डाक से भेजे एक माह से अधिक का समय हो चुका है सम्मन अदम तामील लौटकर प्राप्त नहीं हुए अतः तामील सम्यक मानी जाती है

सम्यक तामील के उपरान्त अप्रार्थीगण हाजिर नहीं आए अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है

प्रा. पत्र पर बहस वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी वारिसान भूमि के खातेदार एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है

अतः वाद की वस्तुस्थिति को देखते एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने के लिए प्रा. पत्र के चरण सं. (2) में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को तारीख फैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर नम्बर से कम हो

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)